Ref: IRDAI/NL/RGICL/F&U/13/2020-21

Shri. Rakesh Jain Chief Executive Officer, Reliance General Insurance Company Ltd., Reliance Centre, South Wing, 4th Floor Off Western Express Highway MUMBAT-400055

महोदय/Sir,

विषयःफाइल एण्ड यूज़: 'रिलायंस भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा ' Sub: File & Use: Reliance Bharat Sookshma Udyam Suraksha

यह उपर्युक्त उत्पाद की फाइलिंग और उपर्युक्त उत्पाद के संबंध में अनुवर्ती पत्र-व्यवहार के संदर्भ में है। प्राधिकरण ने उक्त उत्पाद की विषय-वस्तु पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) IRDAN103RP0019V01202021 आबंटित की है।

- क) वार्षिक उत्पाद कार्य निष्पादन रिपोर्ट एए द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में प्राधिकरण को अधिक से अधिक 30 जून तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। उत्पाद प्रबंध समिति भी वार्षिक तौर पर उक्त उत्पाद के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेगी।
- ख) उत्पाद का नाम सभी संबंधित दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से / उचित रूप से दिया जाना चाहिए।
- ग) विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस) / पुस्तिका (ब्रॉशर) में आवश्यक रूप से मोटे अक्षरों का प्रयोग करते हुए शर्तीं, छूटों, अपवर्जनों के बारे में शब्दावली का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया जाना चाहिए।
- घ) उक्त उत्पाद आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 का अनुपालन करेगा।
- ङ) कंपनी बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, विनियमों तथा समय-समय पर जारी किये गये

This has reference to the filing of the cited product and subsequent correspondence on the same. The Authority has noted the contents of the cited product with Unique Identification Number (UIN) IRDAN103RP0019V01202021 subject to the following conditions.

- a) The Annual product performance report to be submitted to Authority by AA latest by 30th June in respect of the preceding year. The Product Management committee shall also review the performance of the product annually.
- b) The name of product shall be clearly / properly reflected in all the relevant documents.
- c) There shall be clear demonstration in the prospectus / brochure, wordings about the conditions, discounts, exclusions necessarily using bold letters.
- d) The product shall comply with IRDA (Protection of Policyholders` Interests) Regulations, 2017.
- f) The Company shall strictly adhere to the provisions in the Insurance Act 1938, IRDA Act 1999, Regulations and Circulars/Guidelines issued from time to time.

परिपत्रों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करेगी।

- च) प्राधिकरण के पास फाइल किये गये रूप में उक्त उत्पाद की पॉलिसी शब्दावली आपकी वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित की जाएगी।
- छ) उत्पाद दिशानिर्देश संदर्भ IRDAI/NL/GDL/MISC/005/01/2021 का अनुपालन करेगा।
- ज) प्राधिकरण के पास फाइलिंग और नोटिंग के बिना उत्पाद के मूल्य निर्धारण ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
- झ) उत्पाद को केवल उन बिक्री चैनलों के माध्यम से पेश किया जाएगा जिन्हें उनके संबंधित नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के तहत उत्पाद का विपणन करने की अनुमति दी गई है, जिसमें प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद जारी किए गए हैं।

कृपया ध्यान रखें कि उपर्युक्त उत्पाद से संबंधित सभी दस्तावेजों और प्रचार सामग्री में यूआईएन का प्रयोग किया जाएगा।

- g) The policy wordings of the product as filed with the Authority shall be immediately displayed in your website.
- h) The product shall comply with guidelines ref. IRDAI/NL/GDL/MISC/005/01/2021.
- There shall not be any revision in the pricing i.e rating and discount structure of the product without filing and noting by the Authority.
- j) The product shall be offered only through those sales channels who are permitted to market the product under their respective Regulations, guidelines and circulars issued, after following procedures mentioned therein.

Please note that UIN shall be used for all documents and publicity materials relating to the above product.

Yours faithfully,

Anita Josyula General Manager (Non-Life)